

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- स.3-16(06)स्था/विविध/प्रशिक्षण/अभि/16/१४५४-४२ दिनांक:- १७-५-१७
प्रेषित :-

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषय :- नव नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने बावत।

—0—

आपको ज्ञात ही होगा की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये नाम अनुशासित करने के पश्चात उन्हें शीघ्र नियुक्ति दिया जाना अपेक्षित है।

इस क्रम में यह विनिर्धारित किया गया है कि नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों को कार्यालय व न्यायालयों में 10 दिवस का व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के पर्यवेक्षण में दिया जाये।

प्रशिक्षण के दौरान नित्य प्रतिदिन बन्द गले का काला कोट या खुले गले का काला कोट और काली टाई पोशाक में उपस्थित होंगे।

इस क्रम में नव नियुक्त अभियोजन अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया गया है :-

1. सभी प्रशिक्षणार्थी अपने दैनिक कार्यकलापो का व न्यायालय में देखे व सीखे बिन्दुओं का अंकन दैनिक दैनिकी में करेंगे जिस पर तिथि का स्पष्ट अंकन होगा व प्रशिक्षणार्थी का नाम सुगमतापूर्वक पठनीय होना चाहिये। उनके दैनिक कार्यकलापो की समीक्षा सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा की जावेगी व कार्य में सुधार के सुझाव लाल स्याही से बिन्दुवार अंकित कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा हस्ताक्षरित किये जावेंगे।
2. प्रतिदिन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा सन्दर्भित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीक्षण में एक ब्रीफ तैयार की जावेगी जिसे सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा जाँच कर डायरी में सुझाव लाल स्याही से बिन्दुवार अंकित कर हस्ताक्षरित किये जावेंगे।
3. न्यायालय में पक्षकारान, अधिवक्तागण व पीठासीन अधिकारीगण के प्रति व्यवहार में शालीनता का प्रशिक्षण।
4. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जिस अभियोजन अधिकारी के संलग्नित किया गया हो, उसके मार्गदर्शन के अध्याधीन पत्रावली में आदेशिकाये लिखेगा जिनका अवलोकन उस अधिकारी जिसके अधीन वह संलग्नित किया गया है, द्वारा किया जायेगा।



5. विधितः संधारित किये जाने वाले रजिस्टरो में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के मार्गदर्शन में इन्द्राज किया जायेगा। जिसका अवलोकन पश्चातवर्ती रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जायेगा।
6. प्रशिक्षणार्थी निम्न बिन्दुओं के प्रार्थना पत्र व प्रारूप तैयार कर एक पत्रावली तैयार करेंगे जिसका अवलोकन कर कार्य गुणवत्ता का अंकन लाल स्याही से बिन्दुवार अंकित कर सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा हस्ताक्षरित किये जावेगें।

क्र.सं.	विवरण
1.	नकल के लिये प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र।
2.	केस डायरी मंगवाने की तहरीर।
3.	आवश्यक साक्षी को तलब करने का प्रार्थना पत्र।
4.	गवाह को तर्क करने का प्रार्थना पत्र।
5.	आरोप संशोधन प्रार्थना पत्र।
6.	जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध की लिखित बहस।
7.	रिमाण्ड पेपर का प्रारूप व उसे भरना एवं J.C./P.C. माँगना

7. नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करते समय, बहस आरोप, बयान मुलजिम, अन्तिम बहस व विविध प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
8. प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा संधारित व प्रेषित किये जाने वाली सूचनाओं व नक्शों की जानकारी प्रदत्त की जायेगी। जिसे प्रशिक्षणार्थी अपनी डायरी में विहित प्रारूप में अंकित करेंगे। जिसकी जाँच सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा की जायेगी।

क्र. सं.	नक्शे/सूचना का नाम या विषय	भेजने का स्थान	भेजने हेतु निर्धारित तिथि

9. केस डायरी में क्या-क्या बिन्दु गहनतापूर्वक अवलोकन करने हैं। इस विषय में जानकारी दी जाए।
10. चार्जशीट पेश करते समय क्या-क्या महत्वपूर्ण बिन्दु ध्यान रखते हैं। इस विषय में जानकारी दी जाए।
11. एफ.आर. पेश करते समय क्या-क्या महत्वपूर्ण है। इस विषय में जानकारी दी जाए।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को समय पालन, अनुशासन, पत्राचार के सामान्य नियमों व अभिलेख संधारण की विधा से भी अवगत कराया जाये।
13. अपील/नो अपील तथा विमुक्ति टिप्पणी से सम्बन्धित जानकारी।



14. बिन्दु संख्या 1, 2, 6, 8, 9,10 व 11 के अनुक्रम में तैयार दैनंदिनी व संधारित पत्रावली अपने हस्ताक्षर से अग्रेषित करते हुए व्यवहारिक प्रशिक्षण के अन्तिम दिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रदत्त कर दी जायेगी जो सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा निदेशालय को समीक्षा हेतु अग्रेषित की जायेगी।
15. दैनंदिनी व संधारित पत्रावली की व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता व उपादेयता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन, समय पालन व कर्तव्यनिष्ठा हेतु प्रोत्साहित कर प्रशिक्षण के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास करें।


17/5/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।